आरटीएस तैयार, अब 15 अगस्त का इंतजार

पटना| हिन्दुस्तान ब्यूरो

स्वतंत्रता दिवस पर बिहारवासियों को राइट टू सर्विस एक्ट लागू (आरटीएस) का उपहार मिलेगा। सरकारी विभागों में तैयारी पूरी हो चुकी है। जन सरोकार से जुड़े नौ मुख्य विभागों और जिला स्थित कार्यालयों में 'मे आई हेल्प यू' काउंटर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।एक तरह से कहें तो ट्रायल रन जारी है।

बिहार में 15 अगस्त से यह कानून प्रभावी होने के साथ कार्यालयों में हरेक काम की समय सीमा तय हो जायेगी। जाति-आवास-आय प्रमाण पत्र से लेकर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली कनेक्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक निर्धारित समय सीमा में मिलेंगे । फिर लोगों को ना तो दलालों व दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे और ना ही पैरवी के लिए किसी रसूखवाले का सहारा लेना पड़ेगा। काम अपने-आप होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने कहा कि मानव संसाधन विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, निबंधन-उत्पाद व मद्य निषेध विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास-आवास विभाग और वाणिज्य कर विभाग समेत तमाम विभागों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सामान्य प्रशासन विभाग तमाम विभागों में राइट टू सर्विस एक्ट की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहा है।

कार्यालयो में कामकाज की समयसीमा

कार्य	अफसर	निपटारा(दिन)
जाति प्रमाण पत्र	सीओ	21
आवासीय प्रमाण पत्र	एसडीओ	21
आय प्रमाण पत्र	डीएम	21
पासपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र	डीएसपी	28
लर्निंग लाइसेंस	डीटीओ	15
ड्राइविंग लाइसेंस	डीटीओ	30
स्मार्टकार्ड में लाइसेंस बदलाव	डीटीओ	15
इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस	डीटीओ	30
नए वाहनों का निबंधन	डीटीओ	30
पेट्रोल पम्प लाइसेंस	डीटीओ	30
नया राशन कार्ड	एसडीओ	60
दस्तावेजों का निबंधन	जिला या अवर निबंधक	उसी दिन
दस्तावेज की कॉपी	जिला या अवर निबंधक	7
सम्पत्ति अवभार कम्प्यटरीकृत	जिला या अवर निबंधक	3
सोसाइटी फर्म निबंधन	प्रभारी पदाधिकारी	15
दाखिल-खारिज	सीओ	18

यह है तैयारी

- कर्मचारियों को मिला तेजी से काम का प्रशिक्षण
- 'मे आई हेल्प यू' के काउंटर लगने लगे दफ्तरों में
- समय सीमा में काम नहीं करने पर मिलेगा दंड
- सामान्य प्रशासन विभाग तैयारियों की कर रहा है मॉनिटरिंग

चेकलिस्ट

- काउंटर की जगह
- फर्नीचर की व्यवस्था
- काउंटर का साइनबोर्ड
- कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति
- स्टेशनरी-रजिस्टर का इंतजाम
- कंप्यूटर-प्रिंटर का इंतजाम
- क्षेत्रीयकर्मियों का प्रशिक्षण

काम नहीं किया तो मिलेगा दंड

समय पर काम नहीं करने वाले कर्मियों पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये तक जुर्माना वसूला जायेगा। कानून को लागू करने का मकसद आम जनता को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध कराना है। लिहाजा इसके अलावा दोषी कर्मचारी या पदाधिकारी के खिलाफ विभाग के स्तर पर भी कार्रवाई होगी।